न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 07/2016

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
रायंगाराम पुत्र चमनारामजी जाति कुम्हार, निवासी हाडेतर, तहसील सांचौर, जिला जालोर।		राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 59/2015 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष पटवारी हल्का हाडेतर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा मौजा हाडेतर के खसरा नंबर 400/1062 रकबा 0.08 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम (गोचर) भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 50 रूपये शस्ति के आदेश प्रदान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर जालोर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.04.2016 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जो कि विधिसम्मत नहीं है।

पीठासीन अधि./प्राधिकारी
पाली

वादग्रस्त आराजी पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बना हुआ है। राज्य सरकार ने अपीलांट की स्थिति देखते हुए अपीलांट की पत्नी शारदादेवी के नाम उक्त राशि स्वीकृत करने पर दिनांक 15.09.2013 को पक्का मकान बना दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शारदा दवी को 271800612502330400/5286607 के तहत राशि स्वीकृत की गई थी, जिससे मकान का निर्माण पूर्व में हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उक्त भूमि पर 12000/– की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जिससे उक्त भूमि पर शौचालय व बाथरूम बने हुए है। उक्त आराजी के पास चारो तरफ आबादी भूमि आई हुई है, जहां पर लोगो के पक्के मकान बने हुए है। अपीलांट बी.पी. एल श्रेणी का है तथा भूमिहीन श्रेणी का व्यक्ति है। अपीलांट के पास उक्त भूमि के सिचाय रहने के लिए कोई भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवास योजना की स्वीकृत राशि के पत्र एव बैंक की डायरी जिसमे उक्त राशि जमा हुई पेश करने बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी से अपीलांट के बेदखली के आदेश पारित किये है किन्तु यदि प्रकरण में बेदखली का आदेश कर दिया गया तो राज्य सरकार के पैसो की हानि होगी तथा पक्के मकान बाबत लगाये गये पैसे बर्बाद हो जायेगे। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा हाडेतर के खसरा नंबर 400/1062 रकबा 0.08 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम (गोचर) भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से पक्का बनाने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना आरोपित किया, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा हाडेतर के खसरा नंबर 400/1062 रकबा 0.08 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम (गोचर) भूमि पर से अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाने के कारण पटवारी हल्का हाडेतर द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 17.06.2015 की तारीख पेशी नियत की। उसके पश्चात दिनांक 17.06.2015 को अपीलांट स्वंय नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष प्रस्तुत हुआ एवं न्यायालय की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। उसके पश्चात दिनांक 24.06.2015 नियत की गई। एवं दिनांक 24.06.2015 को नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश बेदखली पारित करते हुए जुर्माना आरोपित किया। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि की किस्म गौचर है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 'के' तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 94/2015 में नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2015 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 59/2015 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली